प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक अगस्त, 2026

विषयः स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभा एवं नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गतिविधियाँ आयोजित किए जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या– एम.–11015 / 39 / 2025–पालिसी, दिनॉक 11.08.2026 के क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–डी0पी0–13011(6) / 9 / 2026–डी0पी0–III, दिनांक 11.08.2026 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2026) के अवसर पर ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के अंतर्गत जन–जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

2– उक्त के क्रम में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2026) के अवसर पर प्रदेश की पंचायतों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन के सम्बंध में निम्नानुसार कार्यवाही करायी जायः–

(1) समस्त ग्राम पंचायतों में नियमानुसार विशेष ग्राम सभा आयोजित किए जाने की कार्यवाही की जाए एवं इस हेतु पंचायत निर्णय पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।

(2) इस अवसर पर नशा मुक्ति मित्र (Nasha Mukti Mitra-NMM) के रूप में पंजीकरण हेतु ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें ग्राम स्तर पर नशा विरोधी जागरूकता गतिविधियों में सहभागी बनाया जाए।

(3) विशेष ग्राम सभा में उपस्थित प्रतिभागियों को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ (online pledge link-https://nashamukt.dosje.gov.in/epledge एवं Offline pledge- संलग्न) दिलाई जाए, ताकि नशामुक्त समाज के निर्माण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो सके।

(4) नशा मुक्त भारत अभियान के आधिकारिक लोगो, मैस्कॉट तथा राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 के उपयोग हेतु जन–जागरूकता सुनिश्चित किया जाए।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नियमानुसार विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन तथा पंचायत स्तर पर नशा मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उक्तानुसार।

भवदीय,

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 14-08-2026
14:04:08

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तैदव।</u>

<u>प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by RAJESH KUMAR TYAGI
Date: 14-08-2026 14:08:01

(राजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।